जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
47/2016

अपील सूचना अधिकार संख्या 47/2016 अनवानी श्री रणजीतराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति जाट निवासी 31 एच तहसील श्रीकरनपुर बनाम तहसीलदार, श्रीविजयनगर

09–01–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रणजीत राम उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार, श्रीविजयनगर के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 18.01.16 व 28.01.16 के द्वारा चक 9 ए एस ए, 9 ए एस बी व 10 ए एस में फसल नष्ट व ओला के नुकसान से मुआवजा वितरण की लिस्ट चाही गयी थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवायी गयी है और न ही कोई संतोषजनक जबाब दिया गया है जो उसे अविलम्ब उपलब्ध करवाई जावे एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 28.01.16 व 28.01.16 के द्वारा तहसीलदार, विजयनगर से निम्न सूचनाए चाही थीः–

आवेदन पत्र दिनांक 18.01.16

फसल नष्ट हेतू ओला से ओला से नुकसान माहवजा वितरण की लिस्ट की नकल तहसील श्रीविजयनगर के चक न0 9 एस एस ए, 9 ए एस बी व 10 ए एस की मुआवजा।

आवेदन पत्र दिनांक 18.01.16

फसल नष्ट हेतु ओला से नुकसान 19/20 गांव माहवजा सन 19 सै2015 में माहवजा वितरण गेहूं की फसल की लिस्ट प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए चक 10 ए एस, 9 ए एस ए, 9 ए एस बी तीन चको की

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार, श्रीविजयनगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 280 दिनांक 17.03.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 19.01.16 को प्राप्त हुआ था जिस पर पत्र सं0 110 दिनांक 25.01.16 से अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान वितरण की सूची किस वर्ष की चाही है अंकित नही किया गया है जिस पर अपीलार्थी का पुनः आवेदन पत्र दिनांक 01.02.16 को प्राप्त हुआ जिसमें सन अंकित था जिस पर पुनः उनके कार्यालय के पत्र सं0 184 दिनांक 16.02.16 से 31 पृष्ट की सूचना के लिए दो रूपये प्रति पृष्ट की दर से कुल 62 रूपये के पोस्टल ऑर्डर भिजवाने के लिए अपीलार्थी को लिखा गया किन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि जमा नही करवाये जाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकी।

तहसीलदार, श्रीविजयनगर ने पत्र सं0 184 दिनांक 16.02.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर
47/201

उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार नियम 2005 के तहत चक 9 ए एस ए, 9 ए एस बी, 10 ए. एस. ओलावृष्टि से हुए नुकसान बाबत मुआवजा राशि वितरण के संबंध में कुल 31 पृष्ट है। दो रूपये प्रति पृष्ट के हिसाब से 62 अखरे बासठ रूपये के पोस्टल ऑर्डर भिजवाने का श्रम करें ताकि आपको चाही गई सूचना भिजवाई जा सके।

तहसीलदार श्रीविजयनगर के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को 31 पृष्ट की सूचना के लिए 2 रूपये प्रति पृष्ट की दर से 62रूपये के पोस्टल ऑर्डर जमा करवाने के लिए दिनांक 16.02.16 को समय अवधि में लिखा है जो अपीलार्थी को जमा करवा कर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। किन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त नही की गई है। इस प्रकार तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उक्त 31 पृष्ट की सूचना के लिए 62रूपये राशि जमा करवा दे तो उसे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

15051/18-1-17

आदेश आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना
(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर